न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/38 **दायरा दिनांक : 13.02.2023**

उनवान

मन्जू बाई पत्नी श्यामसुन्दर, जाति धाकड, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. महावीर पुत्र राधेश्याम दत्तक पुत्र श्री सीताराम, जाति धाकड, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां राज0
2. द्वारकाबाई बेवा सीताराम, जाति धाकड, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री कृष्णकान्त शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17.10.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 90/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कलमण्डा, तहसील बारां में आराजियात खसरा नं. 1488 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नं. 1501 रकबा 1.65 हेक्टर, खसरा नं. 1566 रकबा 2.74 हेक्टर, खसरा नं. 1685 रकबा 2.90 हेक्टर, खसरा नं. 1864 रकबा 3.25 हेक्टर कुल 5 किता कुल रकबा 10.91 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2023 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा दो वाद बउनवान महावीर प्रसाद बनाम द्वारका बाई प्रकरण संख्या 90/2003 व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

द्वारकाबाई बनाम महावीर प्रसाद प्रकरण संख्या 145/2009 ग्राम कलमण्डा की आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 10.91 हेक्टर की खातेदारी की घोषणा के लिये प्रस्तुत किये थे तथा उक्त दोनों वाद माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 02.07.2019 को समेकित करने के आदेश होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 90/2003 का वाद रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में दिनांक 16.01.2023 को निर्णित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2023 न्याय कानून एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते समय ना तो पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओं का न तो भलीभांति अवलोकन किया और न ही राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में वर्णित विवादित आराजियात द्वारका बाई पत्नी सीताराम, जाति धाकड, निवासी कलमण्डा के खाते में दर्ज थी जिसमें खसरा नं. 1488 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नं. 1501 रकबा 1.65 हेक्टर, खसरा नं. 1566 रकबा 2.74 हेक्टर, खसरा नं. 1864 रकबा 3.25 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 7.77 हेक्टर आराजी रेस्पोडेंट कम 2 द्वारकाबाई द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 26.12.2017 को अपीलांट के पक्ष में कर दिया तब से अपीलांट उपरोक्त आराजियात की खातेदार कृषक है उपरोक्त महत्वपूर्ण स्थिति को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजीयात अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा दिनांक 26.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट को उक्त वाद में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2021 को आंशिक स्वीकार कर अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की उक्त स्वीकृति के पश्चात भी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अपीलांट को वाद में पक्षकार नही बनाया तथा बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवाया है जो न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में जो निर्णय पारित किया है उसमें व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों का तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना कर मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जिससे अपीलांट के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2021 में अपीलांट को पक्षकार बनाने का आदेश होने के बावजूद भी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण अपीलांट उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रही है। अपील की अनुमति हेतु

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.01.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि उक्त प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार के रूप में संयोजित कर अपनी जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के आदेश फरमावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दौराने दावा द्वारका ने मंजू को दानपत्र आलेखित किया। महावीर द्वारा फर्जी वसीयत से दत्तक पुत्र बनकर वाद किया गया। द्वारका बाई एवं महावीर दोनों ने घोषणा के दावे पेश किये, दोनों दावे के चलते माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 02.07.2019 को दोनों दावों को समायोजित करने का आदेश पारित किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो दावों को एकसाथ निर्णित नहीं करके केवल महावीर बनाम द्वारका के दावे को निर्णित कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश की अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.02.2021 को महावीर का प्रार्थना पत्र पर आदेश 1 नियम 10 स्वीकार किया गया परंतु पक्षकार नहीं बनाया। अधीनस्थ न्यायालय की पालना अधूरी होने के कारण हमे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। द्वारका के नाम जो नामांतरण खुला उसकी अपील महावीर द्वारा की गयी जो दिनांक 27.07.1998 को खारिज हुई। इस निर्णय की अपील माननीय संभागीय आयुक्त कोटा में करने पर भी अपील खारिज की गयी तथा नामांतरण बहाल रखा गया। इस प्रकार हम रेकार्डेड खातेदार है हमें सुना जाना आवश्यक है अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 (महावीर) ने अपनी बहस में कथन किया कि महावीर द्वारा पेश की गयी वसीयत अंतिम वसीयत है। द्वारका बनाम महावीर वाला दावा तुलसा की जमीन का है। दौराने वाद जो भी अंतरण किया जाता है तो वह शून्य होने से मंजू को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। दावे का समायोजन कराने हेतु इन्हें भी अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहिए था। वसीयत फर्जी है तो साबित करना चाहिए था। वसीयत का गवाह नाथूलाल अधीनस्थ न्यायालय में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पेश हुआ है उसने वसीयत को प्रमाणित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये। अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2007 (1) आरजे पेज 348 एवं आरबीजे (12) 2005 पेज 211 उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 2 (द्वारका बाई) ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कलमण्डा एवं तुलसा की आराजी का विवाद है। दावा दत्तक पुत्र के आधार पर या वसीयत के आधार पर किया गया है। अपीलों में वसीयत को संदिग्ध माना है। हमारी वसीयत रजिस्टर्ड है तथा महावीर की अनरजिस्टर्ड है अतः राजस्व न्यायालय को वसीयत की जांच का अधिकार प्राप्त नही है। महावीर की वसीयत पर गवाह के हस्ताक्षर पर नाम, पिता का नाम व पता कुछ भी अंकित नहीं है। वसीयत को नोटेरी से भी तस्दीक नहीं किया गया है, शपथ आयुक्त ने तस्दीक किया है जिसे केवल शपथ पत्र को तस्दीक करने का ही अधिकार है अतः इस वसीयत की जांच संदिग्ध होने के कारण सिविल कोर्ट ही वसीयत प्रमाणित कर सकता है। इस वसीयत के अलावा अन्य जमीनों के संदर्भ में हमने दावा किया जिसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने कंसोलिडेट करते हुए निर्णय करने का आदेश पारित किया उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में उसके संदर्भ में कोई विधिवत निर्णय पारित नहीं किया है। अतः प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाये। अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 184 एवं 2023 (4)सीजे (सिविल) (राज0) पेज 2650 उद्धरत की गयी।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 के तहत दो वाद पत्र बउनवान महावीर प्रसाद बनाम द्वारका बाई प्रकरण संख्या 90/2003 व द्वारकाबाई बनाम महावीर प्रसाद प्रकरण संख्या 145/2009 ग्राम कलमण्डा की विवादित आराजी खसरा नं. 1488, 1501, 1566, 1685, 1864 कुल किता 5 कुल रकबा 10.91 हेक्टर की खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये । इन दोनों दावों के सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी आर.टी.ए संख्या 947/2012 जिला बारां बउनवान द्वारका बाई बनाम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

महावीर में अपने निर्णय दिनांक 02.07.2019 से निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दोनों वादों को समेकित कर विधिक प्रकिया अपनाते हुए प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2019 को दोनों दावों को समेकित करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ की गई। यह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.07.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों में कार्यवाही करते हुए दिनांक 16.01.2023 को केवल प्रकरण संख्या 90/2003 के सन्दर्भ में ही निर्णय एवं डिक्री पारित की है। प्रकरण संख्या 145/2009 का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नहीं किया है, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 02.07.2019 में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.02.2021 को वादी महावीर के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आर्डर 1 नियम 10 (2) (4)सी पी सी के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार कर अपीलांट मंजूबाई को वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेश पारित किया था परन्तु मंजूबाई को पक्षकार बनाने के आदेशों की पालना की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02.07.2019 से प्रदान किये गये निर्देशों की पालना नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2023 खारिज की जाती हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2021 को पारित अपने आदेश की पालना में अपीलांट को दावे में पक्षकार बनाते हुए एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2019 की पालना में विधिक प्रकिया अपनाते हुए दोनों दावों प्रकरण सं. 90/2003 व प्रकरण संख्या 145/2009 में एक साथ नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.12.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा